

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 1996 सत्र

केनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 1996 (वीत्र 2, 1918)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृष्ठक्रम: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री प्यारेलाल कंवर, उप मुख्यमंत्री (राजस्व), भूतपूर्व मुख्य सचिव, श्री जी. जगतपति की अध्यक्षता में मार्च, 1990 से दिसम्बर, 1992 तक की अवधि में शहरी क्षेत्र में भूमि अन्तरणों के संबंध में गठित जांच समिति मध्यप्रदेश के प्रतिवेदन क्रमांक एन-दो-आ-नजूल रायपुर आ-नगर निगम, रायपुर पटल पर रखेंगे।

(2) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, ऊर्जा मंत्री, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उपधारा (5)-ए की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 1993-94 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री सोबरन सिंह मार्वई, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, मुरैना एवं भिण्ड जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग में सामग्री क्रय एवं वितरण में अनियमितताएं होने की ओर और महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री बच्चन नायक, छत्रपति सिंह, सदस्य, उज्जैन स्थित नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय के प्रभारी संघुक संचालक द्वारा अनियमितताएं किये जाने की ओर राज्यमंत्री पर्यावरण का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री ओंकार प्रसाद तिवारी, सदस्य, बैतूल जिले के अनेक ग्रामों के अनुसूचित जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री खुमान सिंह शिवाजी, सदस्य, नगर पालिका परिषद नीमच द्वारा भूखण्ड आवृत्ति में अनियमितता किये जाने की ओर स्थानीय शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) श्री बनवारीलाल अग्रवाल, सदस्य, बिलासपुर जिले के अनेक ग्रामों को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बंधक बनाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) डॉ. देवधरण सिंह मधुकर, सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम गतौरा के पास एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) सर्वश्री नोबेल कुमार वर्मा, राधेश्याम शर्मा, सदस्य, रायपुर के खाद्य नियंत्रक कार्यालय में अनियमितता होने की ओर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) श्री सोनेशम कुशवाह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम परा गंव में अग्निकांड के दोषी अपराधी गिरफ्तार न हो पाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) सर्वश्री धावरचन्द गेहलोत, बच्चन नायक, रघुनन्दन शर्मा, सदस्य, भोपाल नगर स्थित न्यू मार्केट क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री परसराम धुर्वें, सभापति, आधासन समिति का चौदहवां, पन्द्रहवां तथा सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) श्री घनश्याम पाटीदार, सभापति, शिवपुरी उपज़िले में कैदियों के मध्य दुर्संघर्ष में एवं कैदी की मौत से उद्भूत विषयों के परीक्षण हेतु गठित जांच समिति के प्रतिवेदन का प्रथम भाग प्रस्तुत करेंगे।

(३) श्री अम्बिका शुक्ला, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगे।

(४) श्री सत्यप्रत चतुर्वेदी, सभापति, याचिका समिति का आरहवां, तेरहवां एवं चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगे।

५. लोक स्वास्थ्य याचिकी मंत्री का वक्तव्य

श्री हरवंश सिंह, लोक स्वास्थ्य याचिकी मंत्री, दिनांक १ मार्च, १९९६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १ (क्रमांक १९३२) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे।

निधरित समय	६. वर्ष १९९६-९७ की अनुमानों की मांगों पर मतावान (क्रमशः)
२ घन्टे	(१) मांग संख्या १० मांग संख्या ७७
३० मि.	(२) मांग संख्या १६
१ घन्टा	(३) मांग संख्या ३४
१ घन्टा	(४) मांग संख्या ३९
१ घन्टा	(५) मांग संख्या ०७
१ घन्टा	(६) मांग संख्या ४९ मांग संख्या ६४ मांग संख्या ७६
३० मि.	(७) मांग संख्या ४३
१ घन्टा	(८) मांग संख्या १८
३० मि.	(९) मांग संख्या ४०
२ घन्टे	(१०) मांग संख्या २४ मांग संख्या ४२ मांग संख्या ६७ मांग संख्या ६८
३० मि.	(११) मांग संख्या ६५
३० मि.	(१२) मांग संख्या ३५ मांग संख्या ५१
३० मि.	(१३) मांग संख्या ३८ मांग संख्या ५०
१ घन्टा	(१४) मांग संख्या २१ मांग संख्या २५ मांग संख्या ७३
१ घन्टा	(१५) मांग संख्या ४४
१ घन्टा	(१६) मांग संख्या १४ मांग संख्या ६२

वन
वन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ।

मछली पालन
समाज कल्याण

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय

वाणिजिक कर विभाग से संबंधित व्यय

अनुसूचित जाति कल्याण
अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना
अनुसूचित जाति कल्याण के लिये विशेष संग्रह

खेल और युवक कल्याण

श्रम
आयाकृत विभाग से संबंधित व्यय

लोक निर्माण कार्य-सङ्केत और पुल आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सङ्केत और पुल लोक निर्माण कार्य-भवन
आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन

विमानन विभाग

पुनर्वास्य

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व

रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय

बीस सूत्रीय कार्यान्वयन से संबंधित व्यय

आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय

खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय

आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ

उच्च शिक्षा

पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय

पशुपालन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ

निर्धारित
समय

७. शासकीय विधि विषयक कार्य

(१) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक २) विधेयक, 1996 (क्रमांक ४ सन् 1996) का पुरस्थापन * करेगे।

१ घन्टा (२) श्री सत्यनारायण शर्मा, राज्यमंत्री पर्यावरण, प्रस्ताव करेगे कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक ३ सन् 1996) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेगे कि विधेयक पारित किया जाय।

१५ मि. (३) श्री हरवेश सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, प्रस्ताव करेगे कि मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन याचिका प्रतिभूति निषेप (विधिमान्यकरण) विधेयक, 1996 (क्रमांक ५ सन् 1996) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेगे कि विधेयक पारित किया जाय।

१५ मि. (४) श्री जसवन्त सिंह, बाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेगे कि मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक ७ सन् 1996) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेगे कि विधेयक पारित किया जाय।

प्रस्तुति कोषः

८. संविहित संकल्प

१५ मि. श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेगे :-

"यह सदन मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेशन (संशोधन) अधिनियम, 1995 (क्रमांक ३४ सन् 1995) को प्रवृत्त करने वाली अधिसूचना क्रमांक ८९-२ (एक) ८४-अड़तालीस-९५ (सं.का.), दिनांक ८ जनवरी, 1996, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक १८, बुधवार, दिनांक १७ जनवरी, 1996 में प्रकाशित की गई है, को और मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक ७ सन् 1973) की धारा ५-क की उपधारा (३) के साथ पठित धारा ९ की उपधारा (२) के खण्ड (कक्ष) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बनाये गये मध्यप्रदेश विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (रेल द्वारा निश्चल अभिवहन) नियम, 1996 संबंधी अधिसूचना क्रमांक ९१-२ (एक) ८४-अड़तालीस-९५ (सं.का.), दिनांक ८ जनवरी, 1996, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक १८, बुधवार, दिनांक १७ जनवरी, 1996 में प्रकाशित की गई है, को उक्त अधिनियम की धारा ९ की उपधारा (३) के अनुसार अनुमोदित करता है"।

९. अशासकीय विधि विषयक कार्य

(१) श्री गौरीशंकर बिस्वेन, सदस्य, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक ६ सन् 1996) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेगे।

(२) डॉ. रमन सिंह/डॉ. विजय सिंह राजपूत, सदस्य, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक ८ सन् 1996) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेगे।

१५ मि. (३) श्री शैतेन्द्र प्रधान, सदस्य, प्रस्ताव करेगे कि मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप-लोक आयुक्त (संशोधन) विधेयक, 1996 (क्रमांक २ सन् 1996) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेगे कि विधेयक पारित किया जाय।

१०. अशासकीय संकल्प

(१) श्री सोनेराम कुशवाह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेगे :-

२० मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतनमान दिया जाये"।

(२) श्री चन्द्रप्रकाश बाजपेयी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेगे :-

२० मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक शाला स्तर पर एक व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य रूप से करने के निवेदण पंचायतों एवं अशासकीय संस्थाओं के पदाधिकारियों को राज्य शासन दे"।

निपत्ति

समय

(3) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे : -०८

२० मि.

(3) "सदन का यह मत है कि प्रदेश के प्रत्येक पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक शालायें खोली जायें"।

(4) डॉ. दाल सिंह बिसेन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे : -

३० मि.

(3) "सदन का यह मत है कि किसानों को लकड़ी की बिक्री एवं खरीदी की व्यवस्था हेतु पंचायतवार बिक्री केन्द्र या बन संपदा मंडी खोलने हेतु शासन पहल करें"।

११. नियम ५२ के अधीन आवेदन की चर्चा

२० मि.

(1) दिनांक 19 मार्च, 1996 को स्थानीय शासन मंत्री से पूछे गये तारारकित प्रश्न संख्या 18 (क्रमांक 6880) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री जुगुल किशोर बागरी, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

२१ मि.

(2) दिनांक 19 मार्च, 1996 को स्थानीय शासन मंत्री से पूछे गये अतारकित प्रश्न संख्या 60 (क्रमांक 6983) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री कैलाश आवला, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

अशोक अतुर्वेदी

सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :

दिनांक : 21 मार्च, 1996